Australian Government
Department of Home Affairs

ऑस्ट्रेलियाई नागरिक, स्थायी निवासी या सामान्य रूप से ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले न्यू ज़ीलैंड नागरिक

यदि आप ऑस्ट्रेलियाई नागरिक, स्थायी निवासी या सामान्य रूप से ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले/वाली न्यू ज़ीलैंड नागरिक हैं, तो आप ऑस्ट्रेलिया के लिए यात्रा कर सकते/सकती हैं।

ऑस्ट्रेलियाई समुदाय के स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने के लिए ऑस्ट्रेलिया ने कड़े सीमा नियंत्रण लागू किए हैं। वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया में प्रवेश और यहाँ से प्रस्थान करने के लिए बहुत ही सीमित उड़ानें उपलब्ध हैं और हो सकता है कि आप इस समय यात्रा करने में सक्षम न हों। वेबसाइट Smartraveller देखें। यात्रा प्रतिबंध परिवर्तन के अधीन हैं। कृपया नियमित रूप से यहाँ जाँच करें। देखें: राष्ट्रीय कैबिनेट का मीडिया वक्तव्य।

न्यू ज़ीलैंड से किसी संगरोध-मुक्त उड़ान से न आने कि स्थिति में ऑस्ट्रेलिया में प्रवेश करने वाले सभी यात्रियों को, जिनमें ऑस्ट्रेलियाई नागरिक भी शामिल हैं, अपने आगमन के शहर में किसी होटल जैसी एक निर्दिष्ट सुविधा में 14 दिनों के लिए संगरोध करना होगा। यात्रियों के लिए कोरोनावायरस (COVID-19) के संबंध में सलाह देखें।

आपको संगरोध के शुल्कों का भुगतान स्वयं करने की आवश्यकता हो सकती है। संगरोध की आवश्यकताओं के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए संबंधित राज्य या राज्य-क्षेत्र के सरकारी स्वास्थ्य विभाग से संपर्क करें।

ऑस्ट्रेलियाई नागरिक

ऑस्ट्रेलियाई नागरिक ऑस्ट्रेलिया में प्रवेश कर सकते हैं और असाधारण परिस्थितियों में वैध ऑस्ट्रेलियाई पासपोर्ट के बिना प्रवेश कर सकते हैं। आपको यात्रा करने से पहले अपने प्रस्थान के देश में लागू सभी प्रतिबंधों के बारे में पता होना चाहिए। वेबसाइट Smartraveller देखें।

यदि आपके पास वैध पासपोर्ट नहीं है, और आपको पासपोर्ट जारी किए जाने से पहले तत्काल यात्रा करने की आवश्यकता है, तो कृपया एयरलाइन कर्मचारियों को बताएँ कि आप एक ऑस्ट्रेलियाई नागरिक हैं और

आपको ऑस्ट्रेलिया में प्रवेश करने के लिए वीज़ा की आवश्यकता नहीं है। एयरलाइन आपकी नागरिकता को सत्यापित करने के लिए ऑस्ट्रेलियाई सीमा बल [Australian Border Force] से संपर्क करेगी। आपको अन्य पहचान दस्तावेजों को अपने साथ रखना होगा।

ऑस्ट्रेलिया के स्थायी निवासी

स्थायी निवासी और अनंतिम (Provisional) परिवार वीज़ा धारक ऑस्ट्रेलिया में प्रवेश कर सकते हैं। अपवाद की श्रेणियों और यात्रा प्रतिबंधों के बारे में सलाह देखें।

स्थायी वीज़ाओं में सामान्य रूप से केवल 5 वर्षों तक यात्रा करने की सुविधा होगी। यदि अपने स्थायी वीज़ा की यात्रा सुविधा समाप्त होने के समय आप ऑस्ट्रेलिया से बाहर हैं, तो आप ऑस्ट्रेलिया वापिस नहीं लौट सकते/सकती हैं।

यह पता लगाने के लिए कि आप स्थायी निवासी के रूप में ऑस्ट्रेलिया में फिर से प्रवेश कैसे कर सकते/सकती हैं, स्थायी निवासी अनुभाग देखें।

प्रथम प्रवेश आगमन तिथि (सर्वप्रथम आगमन की तिथि)

यह जानकारी केवल निम्नलिखित स्थायी और अस्थायी परिवार वीज़ा धारकों के लिए लागू होती है:

- सहजीवी (Partner) (उपवर्ग 309 या 100)
- अभिभावक (Parent) वीज़ा (उपवर्ग 143 या 103)
- बाल (Child) वीज़ा (उपवर्ग 101 या 102 या 445)
- अन्य परिवार (Other Family) वीज़ा (उपवर्ग 114, 115, 116 या 117)

यदि आप अपने वीज़ा की प्रथम प्रवेश आगमन तिथि से पहले ऑस्ट्रेलिया की यात्रा नहीं कर सकते/सकती हैं, तो आप इसके बाद भी ऑस्ट्रेलिया में प्रवेश करने में सक्षम हो सकते/सकती हैं। आपके वीज़ा के मान्य होने की आवश्यकता होगी और आपको अन्य सभी आवश्यकताओं व वीज़ा की शर्तों को पूरा करना जारी रखना होगा।

यात्रा करने के लिए योजना बनाते समय आपको यात्रा सुविधा पत्र निवेदन फॉर्म जमा कराना होगा।

फिर हम आपको एक यात्रा सुविधा पत्र भेज सकते हैं, जिसमें यह बताया जाएगा कि आपके पास अपने वीज़ा की प्रथम प्रवेश आगमन तिथि के बाद ऑस्ट्रेलिया में प्रवेश करने की अनुमति है। यदि हम आपको यात्रा

सुविधा पत्र देते हैं, तो इसे अपने प्रस्थान के स्थल पर अपने साथ ले जाएँ। आपको इसे एयरलाइन के चेक-इन और ऑस्ट्रेलिया में आगमन पर दिखाने की आवश्यकता हो सकती है।

यात्रा सुविधा पत्र तब तक जारी नहीं किए जाएँगे, जब तक आपके पास उपरोक्त परिवार वीज़ाओं में से कोई एक वीज़ा नहीं होगा और आपके प्रथम प्रवेश की आगमन तिथि के लिए 3 महीने से कम समय शेष नहीं होगा।

ध्यान दें: प्रथम प्रवेश आगमन तिथि (सर्वप्रम आगमन की तिथि) 'Must Not Arrive after Date' (आगमन की अंतिम तिथि) से भिन्न है।

यदि आप एक यात्रा सुविधा पत्र के लिए निवेदन कर रहे/रही हैं, तो आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि:

- आपके पास एक वैध स्थायी या अनंतिम (provisional) परिवार वीज़ा है
- आपके वीज़ा अनुदान पत्र में निर्दिष्ट प्रथम प्रवेश आगमन तिथि (सर्वप्रम आगमन की तिथि) बीत चुकी है या ऑस्ट्रेलिया की यात्रा करने में आपके समर्थ होने से पहले बीत जाएगी
- आप अगले 12 महीनों के अंदर ऑस्ट्रेलिया की यात्रा करने की योजना बना रहे/रही हैं।

यदि आपके पास संभावित विवाह (Prospective Marriage) (उपवर्ग 300) वीज़ा है, तो और अधिक जानकारी के लिए वीज़ा आवेदन शुल्क के लिए रिफंड और अपवाद (Refunds and Waivers) अनुभाग देखें।

सामान्य रूप से ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले न्यू ज़ीलैंड के नागरिक

सामान्य रूप से ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले न्यूजीलैंड नागरिक (उपवर्ग 444 वीज़ा या अन्य स्थायी या अनंतिम वीज़ाधारक) ऑस्ट्रेलिया में प्रवेश कर सकते/सकती हैं।

यदि आप ऑस्ट्रेलिया में उड़ान से प्रवेश करने के तुरंत पहले 14 दिनों या इससे अधिक की अवधि के लिए न्यू ज़ीलैंड में नहीं रहे/रही हैं, तो चेक-इन करने पर आपको निवास दस्तावेज के प्रमाण उपलब्ध कराने में सक्षम होना चाहिए। निवास के दस्तावेजों के स्वीकार्य प्रमाण में निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं, लेकिन ये केवल इन्हीं तक सीमित नहीं है:

- सरकार द्वारा जारी किए गए दस्तावेज (उदाहरण के लिए, ऑस्ट्रेलियाई ड्राइवर्स लाइसेंस, मेडिकेयर कार्ड, ऑस्ट्रेलियाई कर कार्यालय के साथ ऑस्ट्रेलियाई निवासी के रूप में पंजीकरण), और इसके समर्थन में एक अन्य प्रकार का दस्तावेज होना चाहिए जो इस बात की पुष्टि करे कि:
  - आप वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया में कार्य या अनुमोदित अध्ययन कर रहे/रही हैं (या वित्तीय सहायता के प्रमाण के रूप में स्थानीय बैंक वक्तव्य) या

- आप ऑस्ट्रेलिया में संपत्ति के/की स्वामी हैं या आपने किराए पर संपत्ति ली है (जैसे, उपयोगिता बिल, रेट्स के नोटिस, लीज समझौते)

आप हवाईअड्डे पर चेक-इन करते समय यह प्रमाण प्रस्तुत कर सकते/सकती हैं। अपनी उड़ान में सवार होने से पहले आपके निवास का सत्यापन आपके यात्रा इतिहास के साथ किया जाएगा। यदि आपको इस बारे में कोई संदेह है कि क्या आपकी परिस्थितियाँ सामान्य निवासी की परिभाषा के अंतर्गत आती हैं या नहीं, तो हम आपको अपने अपेक्षित प्रस्थान से कम से कम दो सप्ताह पहले आकलन के लिए निवेदन जमा करने की सलाह देते हैं।

अपना निवेदन जमा करें

मेरे पास एक शरणार्थी और मानवतावादी (वर्ग XB) वीज़ा है

यदि प्रवेशकर्ता ऑस्ट्रेलियाई नागरिक या स्थायी निवासी न हो, तो COVID-19 से संबंधित यात्रा प्रतिबंध वर्तमान में लोगों को ऑस्ट्रेलिया में प्रवेश करने से निषिद्ध करते हैं।

यदि आपके पास शरणार्थी और मानवतावादी (वर्ग XB) वीज़ा है, तो जब तक आपने ऑस्ट्रेलिया में इससे पहले प्रवेश नहीं किया है, तब तक आपको स्थायी निवासी नहीं माना जाता है।

शरणार्थी और मानवतावादी (वर्ग XB) वीज़ाधारक, जिन्होंने अभी तक ऑस्ट्रेलिया में पहली बार प्रवेश के लिए यात्रा नहीं की है, वे इस समय ऑस्ट्रेलिया में प्रवेश करने में तब तक सक्षम नहीं होंगे जब तक कि उन्होंने अपवाद के लिए आवेदन न किया हो और उन्हें अपवाद प्राप्त न हो गया हो। और अधिक जानकारी के लिए, यात्रा प्रतिबंध देखें।

अपवाद के लिए ऑनलाइन आवेदन करें

कृपया प्रति व्यक्ति केवल एक निवेदन जमा करें। दोहरे निवेदन जमा करने से आकलन में देरी होगी। यदि आपको अपवाद नहीं दिया जाता है, तो आपको अपनी यात्रा योजनाएँ जारी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि आपको ऑस्ट्रेलिया आने वाले विमान में सवार नहीं होने दिया जाएगा। यदि आपको यात्रा अपवाद प्राप्त हो जाता है, तो आपको उस अपवाद के निर्णय का प्रमाण हवाईअड्डे ले जाना होगा।

यात्रा अपवादों के लिए आवेदन करें